

सेवा में,

श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय

टॉक

विषयः—

गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रधान करने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम के खसरा नंबर. कुल किता. . . रकबा. के रूप में गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर हमारा वर्षों से कब्जा कास्त है, उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है ना ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है हमारे द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। हम नियम अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु निर्धारित राशि राजकोष में जमा कराने हेतु सहमत है। उक्त प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में कोई विरोधाभास पाए जाने पर हमें प्रदान किए गए खातेदारी अधिकार समाप्त करने पर हम सहमत हैं।

अतः हमें नियम अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी

मौका पर्चा

आज दिनांक को ग्राम के खसरा नंबर. कुल किता. . . . रकबा का मौका देखा गया उक्त भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में मौके पर उपस्थित खातेदारान एवं मौतविरान लोगों ने अवगत कराया कि उक्त आवंटन भूमि पर खातेदारान का ही वर्षों से कब्जा कास्त है, उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है, ना ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है एवं बहाव क्षेत्र से प्रभावित नहीं है गैर-खातेदारान् द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है।

मौका पर्चा मौके पर तैयार किया जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर कराए गए।